जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 02-09-2021

आज दिनांक 02.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी किया गया गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रामनयन यादव पुत्र छविराज यादव निवासी कौवाठोर थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1487 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद कराया गया शान्त</u> – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत करही से इवेन्ट संख्या 02416 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर मारपीट को शान्त कराया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 गिरीशचन्द्र शुक्ला, आ0 विनोद भारती, हो0चा0 शिवकुमार गौड़।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 90 वाहनो से 73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 90 वाहनो से 73,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।